Regd. No. CHD/0093/2009–2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 3, 2010
(BHADRA 12, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd September, 2010

No. 24—HLA of 2010/55.—Haryana Gau-Seva Aayog Bill, 2010, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 24—HLA of 2010

THE HARYANA GAU-SEVA AAYOG BILL, 2010

A

BILL

to establish Gau-Seva Aayog for the preservation and welfare of cows in the State, for supervision and control of institutions established for the purpose and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Gau-Seva Aayog Act, 2010.

(2) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Aayog" means the Haryana Gau-Seva Aayog established under section 3;

(b) "cow" includes bull, bullock, ox, heifer and calf;

(c) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;

(d) "institution" means any charitable institution or Non-Government Organisation engaged in cow welfare and established for the purpose of keeping, breeding, rearing and maintaining cow or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cow and includes Gausadan, Gaushala, Pinjrapole, Gau Anusandhan-Vigyan-Samvardhan Kendra, Gauraksha Sanstha and their federation or union registered under any enactment for the time being in force or otherwise;

(e) "member" means a member of the Aayog and includes the Chairman and Vice-Chairman;

(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(g) "State" means the State of Haryana.

Establishmnent and incorporation.

3. (1) The Government shall, after coming into force of this Act, by notification in the Official Gazette, establish a body to be known as the Haryana Gau-Seva Aayog.

(2) The Aayog shall have perpetual succession and a common seal with power to purchase, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and may by said name sue and be sued.

Constitution.

4. (1) The Aayog shall consist of the following members, namely:-

I. Official members:-

(a) Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management Department or his representative not below the rank of Joint Secretary;

(b) Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department or his representative not below the rank of Joint Secretary;

(c) Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Agriculture Department or his representative not below the rank of Joint Secretary;

(d) Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Finance Department or his representative not below the rank of Joint Secretary;

(e) Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Animal Husbandry and Dairying Department or his representative not below the rank of Joint Secretary;

(f) Financial Commissioner and Principal Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department or his representative not below the rank of Joint Secretary;

(g) Director General of Police or his representative not below the rank of Inspector General of Police;

(h) Director General of Animal Husbandry and Dairying Department;

(i) One representative from the Animal Welfare Board of India.

II. Non-official members:-

There shall be twelve non-official members including Chairman and Vice-Chairman to be nominated by the Government.

(2) The non-official members shall be nominated by the Government from amongst the persons engaged in the welfare of cow, namely:-

(i) six non-official members representing registered Haryana Rajya Gaushala Sangh in the State;

(ii) six eminent humanitarians working selflessly for the welfare, protection and preservation of cow.

(3) Every appointment shall take effect from the date on which it is published in the Official Gazette.

5. (1) The Government shall appoint a Secretary of Aayog having such qualifications, as may be prescribed Secretary.

(2) The Secretary shall exercise such powers and perform such duties, as may be prescribed.

6. (1) Every non-official member shall hold office for a period of three years from the date on which he is appointed. Terms and conditions of appointment of non-official members.

(2) The terms and conditions of the appointment of the non-official members shall be such, as may be prescribed.

Resignation.

7. A non-official member may resign from his office by giving a notice in writing under his hand addressed to the Government.

Removal of non-official members.

8. (1) The Government may remove a non-official member from his office who in its opinion,—

(a) refuses to act or becomes incapable of acting; or

(b) is convicted by a Court for an offence, involving moral turpitude; or

(c) has directly or indirectly any share or interest in any subsisting contract or employment with, by or on behalf of the Aayog himself or through member of his family or any partner; or

(d) is a Director, Secretary, Member or a salaried officer of any incorporated company or any cooperative society which has any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Aayog; or

(e) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or

(f) without obtaining leave remains absent from three consecutive meetings of the Aayog; or

(g) has abused his position as to render his continuance in office detrimental to the interest of the Aayog; or

(h) has become an un-discharged insolvent.

(2) The Government may suspend any non-official member pending any inquiry against him:

Provided that no member shall be removed under sub-section (1) unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

Disqualification.

9. No person shall be eligible for appointment as a non-official member, if he —

(a) is not a citizen of India;

(b) has not attained the age of twenty-one years;

(c) has been declared by a competent Court to be of unsound mind;

(d) has been convicted by any Court for an offence involving moral turpitude;

(e) has been dismissed from the service of the Government for misconduct and has been declared to be disqualified for employment in public service; or

(f) is an un discharged insolvent.

10. In the event of death, resignation or disqualification of a non-official member or of his becoming incapable of acting before the expiry of his term of office, a casual vacancy shall be deemed to have occurred in such office and such vacancy shall be filled as early as possible by appointment of a person thereto as a member, who shall hold office for the unexpired term of his predecessor. Casual vacancy

11. No act or proceeding of the Aayog shall be deemed to be invalid merely by reason of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Aayog. Vacancy not to invalidate proceedings.

12. The non-official members of the Aayog shall be paid such allowances, as may be prescribed. Allwances to non-official members

13. (1) The Aayog shall hold meeting at least once in every three months. Meetings.

(2) The Chairman may, whenever he thinks fit, call a meeting.

(3) The proceedings of the meetings shall be forwarded to the Government.

(4) Seven members, comprising minimum three official and minimum three non-official members, shall form quorum of the meeting.

14. The functions of the Aayog shall be to— Functions.

(i) work for proper implementation of laws with respect to prohibition of slaughter and/or cruelty to cow and to suggest improvement in the existing laws for making them more meaningful;

(ii) work for the welfare of cow in the State;

(iii) supervise work of the institutions for the scientific use of dung and urine of cow so as to enhance their utility in the sphere of agriculture including soil fertility, bio-energy, bio-gas, bio-fertilizer, bio-pesticide and domestic use;

(iv) supervise and assist in the working and functioning of the institutions for the purpose of providing financial assistance, training in the field of scientific rearing of various breeds of cow;

(v) exercise supervision over institutions regarding utilization of funds and properties provided by Aayog and to bring to the notice of the Government specific instances for appropriate action;

(vi) develop pastures or grazing lands and to associate with institutions or other bodies whether private or public, for the purpose of developing pastures and Gauchars;

(vii) provide financial assistance to deserving institutions, which in the opinion of the Aayog are engaged in the welfare of cow, as also for propagation of non-conventional energy like bio-gas from dung and urine of cow and other gainful uses through scientific tests or experiments;

(viii) educate, campaign and to make people aware about the economic benefits which can be derived out of cow and arrange competitions to promote such awareness as also to preach compassion for cow and take steps for inclusion in school syllabi such information;

(ix) procure fodder and make available for use of cow in the area affected by famine, drought or other natural calamities and to set up camps for the aforesaid purposes in the affected area and to take steps for prevention of migration or export of cow from such affected area and to suggest action against persons indulging in or attempting export for slaughter from such area;

(x) work in collaboration with any Veterinary, Animal Sciences or Agriculture University or departments or organizations of the State /Central Government engaged in the task of research in the field of breeding and rearing of cow, organic manure, bio-gas etc. as also to collaborate with such of the research projects of Indian system of medicine conducted by various public or private organizations for conducting research on the biogenic products of the cow for medicinal purposes;

(xi) assist institutions for procuring fodder and in relocation of existing institutions at places where plenty of fodder and water is easily available;

(xii) promote schemes to encourage use of organic manure and recommend suitable measures including incentive schemes for use of dung or urine of cow in organic manure by farmers to minimize the use of chemical fertilizers;

(xiii) undertake fodder development schemes and to provide straw reapers free of cost;

(xiv) take into custody the abandoned, stray, confiscated or seized cow from the concerned local bodies, other competent authorities or courts after due authorization under any law for the time being in force and to maintain them;

(xv) formulate and submit schemes for the establishment of cottage/ artisan industries in the rural areas based on biogas product of cow as also based on skins, hides, bones of the naturally dead cow for the purpose of manufacture of various products;

(xvi) to create awareness about the significance of indigenous breeds of cow, its milk and allied dairy products and use of bullock energy;

(xvii) to promote healthy competition amongst institution engaged in breed development of cow for enhancing milk yield by organizing various competitions/events/fairs and suitably rewarding the winners financially.

Powers, duties and functions of Chairman.

15. The Chairman shall exercise such powers, discharge such duties and perform such functions, as may be prescribed.

Powers, duties and functions of Vice-Chairman.

16. The Vice-Chairman, in the absence of Chairman, shall exercise such powers, discharge such duties and perform such functions, as may be prescribed.

Office.

17. The Aâyog shall, as soon as may be, after its establishment and incorporation have its headquarters at such place, as may be specified by the Government.

Officers and others employees.

18. The Aayog may subject to general or special directions of the Government, appoint such officers and other employees, as it may consider necessary for the efficient performance of its functions.

Pay and conditions of service.

19. The pay and other conditions of service of the officers and employees of the Aayog shall be such, as may be prescribed.

Fund.

20. The fund of the Aayog shall consist of grants made by the Government, donations, gifts and bequests made to it.

Application of fund and property.

21. (1) All properties, funds and other assets of the Aayog shall be held and applied by it for the purposes, as may be prescribed.

(2) No proposal involving financial implications shall be approved, sanctioned or implemented by the Aayog unless such proposal is examined by a Finance Committee duly constituted in such manner, as may be prescribed.

Budget.

22. (1) The Aayog shall on such date, as may be prescribed, prepare and submit to the Government, in the prescribed form, the budget of the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure.

(2) The Government may sanction the budget submitted to it with such modifications, if any, as it deems proper.

(3) When the budget is sanctioned by the Government, the Aayog shall be competent to appropriate the amounts out of the fund for the purpose for which the provision is made in the budget.

Power to call for records.

23. The Aayog may call for any record or report of any institution to perform the functions under this Act.

Accounts and audit.

24. (1) The Aayog shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare a report on accounts in such form, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Aayog shall be audited by the Accountant General at such intervals, as may be specified by him and any expenditure in connection with such audit shall be payable by the Aayog to the Accountant General.

Annual report.

25. The Aayog shall prepare, in such form and by such date for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities of the previous financial year and forward it to the Government.

Action on report.

26. Upon receipt of a report made under section 25, the Government may take such action thereon, as it considers appropriate.

Power of Government to call for reports, return etc.

27. The Government may call for such reports, returns and statements of accounts from the Aayog, as it considers necessary.

Directions of Government.

28. (1) In the discharge of its functions under this Act, the Aayog shall be guided by such directions on the question of policy, as may be given to it by the Government.

(2) If any dispute arises between the Government and the Aayog as to whether a question is or is not a question of policy, the decision of the Government shall be final.

Members, officers and employees to be public servants.

29. All members, officers and employees of the Aayog shall be deemed while acting or purporting to act in pursuance of any provisions of this Act to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

Power to remove difficulties.

30. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order do anything not inconsistent with such provision which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

Protection of action taken in good faith.

31. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any member, officer or employee of the Aayog for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Power to make rules.

32. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State Legislature, while it is in session.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has decided to establish and constitute "The Haryana Gau Seva Aayog" for the purpose of the preservation, welfare and development of Cow species in the State. It will assist in organising animal husbandry of cattle on modern and scientific lines alongwith use of bio-products generated by the cattle animals maximizing the use of organic manure in the agricultural activities.

The Haryana Gau Seva Aayog Bill, 2010, will be meant for following objects:—

1. to work for proper implementation of the law with respect to prohibition of slaughter and/or cruelty to cow and to suggest improvement in the existing laws for making them more meaningful.

2. to supervise work of the institutions for the scientific use of dung and urine of cow so as to enhance their utility in the sphere of agriculture including soil fertility, bio-energy, bio-gas, bio-fertilizer, bio-pesticide and domestic use.

3. to supervise and assist in the working and functioning of the institutions for the purpose of providing financial assistance, training in the field of scientific rearing of various breeds of cow.

4. to educate, campaign and to create awareness about the significance of indigenous breeds of cow, its milk and allied dairy products and use of bullock energy.

5. to work in collaboration with Agricultural/Veterinary University or other Organizations of the State arranged in the task of research in the field of breeding/ rearing of cow and other research projects of Indian system of medicine pertaining to biogenic products of cow.

6. to take into custody the abandoned, stray, confiscated or seized cow from the concerned local bodies, other competent authorities or courts after due authorization under any law for the time being in force and to maintain them properly.

7. to formulate and submit schemes for consideration of the Government for the establishment of cottage industries in the rural areas, based on bio-gas product of cow as also based on skins, hides or bones of the naturally dead cow for the purposes of manufacture of various products.

PARAMVIR SINGH,

Animal Husbandry Minister, Haryana.

SUMIT KUMAR,

Secretary.

Chandigarh :

The 3rd September, 2010.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 32 of the Bill provides for making some provision by way of rules. To carryout the purposes of the Act, this power has been delegated to the Government to make new or additional rules. This delegated power to Government is of normal character and nowhere overrides the scope of delegation of legislative power. Hence, this memorandum is annexed as required under the provisions of rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2010 का विधेयक संख्या 24-एच० एल० ए०

हरियाणा गौ-सेवा आयोग विधेयक, 2010

राज्य में गाय के परिरक्षण तथा कल्याण के लिए, प्रयोजन के लिए स्थापित संस्थाओं के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए तथा उनसे सम्बन्धित तथा उनके आनुशंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु गौ–सेवा आयोग स्थापित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा गौ–सेवा आयोग अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, को लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन स्थापित हरियाणा गौ–सेवा आयोग;

(ख) "गाय" में सम्मिलित है, साण्ड, बैल, वृषभ, युवा बछड़ी तथा बछड़ा या बछड़ी;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है, गाय कल्याण में लगी तथा गाय रखने, उसके प्रजनन, पालन तथा सम्पोषण के प्रयोजन के लिए या दुर्बल, वृद्ध तथा रोगी गाय की प्राप्ति, संरक्षण, देखभाल, प्रबन्धन तथा उपचार के प्रयोजन के लिए स्थापित कोई धर्मार्थ संस्था या गैर–सरकारी संगठन तथा इसमें शामिल है गौसदन, गौशाला, पिंजरपोल, गौ–अनुसंधान–विज्ञान–संवर्धन केन्द्र, गौरक्षा संस्था तथा तत्समय लागू किसी अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत या अन्यथा उनके फैडरेशन या यूनियन;

(ङ) "सदस्य" से अभिप्राय है, आयोग का कोई सदस्य तथा इसमें शामिल है अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष;

(च) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(छ) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

स्थापना और निगमन।

3. (1) सरकार इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के बाद, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हरियाणा गौ–सेवा आयोग के रूप में ज्ञात कोई निकाय स्थापित करेगी।

(2) आयोग का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मोहर होगी और उसे चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित, धारण तथा व्ययन करने की और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या उस पर उक्त नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

गठन।

4. (1) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

I. सरकारी सदस्य :–

(क) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(ख) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(ग) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(घ) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(ङ) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(च) वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग या उसका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो;

(छ) पुलिस महानिदेशक या उसका प्रतिनिधि जो पुलिस महानिरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो;

(ज) महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग;

(झ) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से एक प्रतिनिधि।

II. गैर–सरकारी सदस्य :–

सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहित बारह गैर सरकारी सदस्य।

(2) गैर–सरकारी सदस्य सरकार द्वारा गाय के कल्याण में लगे निम्नलिखित व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) राज्य में पंजीकृत हरियाणा राज्य गौशाला संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे छह गैर–सरकारी सदस्य;

(ख) गाय के कल्याण, संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए निःस्वार्थ कार्य कर रहे छह प्रतिष्ठित लोकोपकारी।

(3) प्रत्येक नियुक्ति ऐसी तिथि से प्रभावी होगी जिसको यह राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

सचिव।

5. (1) सरकार यथाविहित ऐसी अर्हताएं रखने वाले को आयोग का सचिव नियुक्त करेगी।

(2) सचिव यथाविहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें।

6. (1) प्रत्येक गैर–सरकारी सदस्य ऐसी तिथि, जिसको वह नियुक्त किया गया है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) गैर–सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

त्याग-पत्र।

7. गैर–सरकारी सदस्य सरकार को सम्बोधित करते हुए लिखित में अपने हस्ताक्षराधीन नोटिस देकर अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है।

गैर-सरकारी सदस्यों का हटाया जाना।

8. (1) सरकार गैर–सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है जो उसकी राय में, –

(क) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है; या

(ख) नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है; या

(ग) आयोग के साथ, द्वारा या की ओर से किसी अस्तित्वयुक्त संविदा या नियोजन में स्वयं या अपने परिवार के सदस्य या किसी भागीदार के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अंश या हित रखता है; या

(घ) किसी ऐसी निगमित कंपनी या किसी सहकारी सोसाइटी का निदेशक, सचिव, सदस्य या अन्य अवैतनिक अधिकारी है जो आयोग के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई अंश या हित रखता है ; या

(ङ) विकृतचित्त हो गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(च) अवकाश लिए बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है ; या

(छ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना आयोग के हितों के लिए हानिकर है ; या

(ज) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है ।

(2) सरकार किसी गैर–सरकारी सदस्य को उसके विरुद्ध किसी जांच के लंबित होने तक निलंबित कर सकती है:

परन्तु किसी भी सदस्य को उपधारा (1) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

निरर्हताएं।

9. कोई भी व्यक्ति गैर–सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नहीं है ;

(ख) इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

(ग) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया है ;

(घ) नैतिक अद्यमता वाले किसी अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किया गया है ;

(ङ) कदाचार के लिए सरकार की सेवा से पदच्युत किया गया है तथा लोकहित में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित किया गया है ; या

(च) अनुन्मोचित दिवालिया है ।

आकस्मिक रिक्ति।

10. किसी गैर–सरकारी सदस्य की मृत्यु, त्याग–पत्र या निरर्हता की दशा में या उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व कार्य करने में उसके असमर्थ होने पर, आकस्मिक रिक्ति ऐसे पद में हुई समझी जाएगी तथा ऐसी रिक्ति यथासंभव शीघ्र सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी, जो अपने पूर्ववर्ती की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

रिक्ति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य न करना।

11. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या इसके गठन में कोई त्रुटि है।

गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते।

12. आयोग के गैर–सरकारी सदस्यों को ऐसे भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जो विहित किए जाएं।

बैठकें।

13. (1) आयोग प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार बैठक बुलाएगा ।

(2) अध्यक्ष, जब कभी वह ठीक समझे, बैठक बुला सकता है ।

(3) बैठक की कार्यवाहियां सरकार को प्रेषित की जाएंगी ।

(4) कम से कम तीन सरकारी तथा कम से कम तीन गैर–सरकारी सदस्यों को मिलाकर सात सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

कृत्य।

14. आयोग के कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(i) गाय के वध तथा / या अत्याचार के प्रतिषेध के संबंध में विधि के उचित लागूकरण के लिए कार्य करने तथा उन्हें अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए विद्यमान विधियों में सुधार का सुझाव देने ;

(ii) राज्य में गाय के कल्याण के लिए कार्य करना ;

(iii) गाय के गोबर तथा मूत्र के वैज्ञानिक उपयोग के लिए संस्थाओं के कार्य का पर्यवेक्षण करना ताकि भूमि उर्वरकता, बायो–ऊर्जा, बायो–गैस, बायो–खाद, बायो–नाशक जीव तथा घरेलू उपयोग सहित कृषि के क्षेत्र में उसकी उपयोगिता को बढ़ावा देने ;

(iv) गाय की विभिन्न नस्लों के वैज्ञानिक पालन के क्षेत्र में वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए संस्थाओं के कार्य तथा कृत्यों का पर्यवेक्षण करने तथा सहायता करने ;

(v) आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधियों तथा सम्पत्तियों के उपयोग के संबंध में संस्थाओं का पर्यवेक्षण करने तथा समुचित कार्रवाई के लिए विशिष्ट दृष्टान्तों को सरकार के ध्यान में लाने ;

(vi) चरागाह या चरागाह भूमि विकसित करना तथा चरागाह तथा गोचरों को विकसित करने के प्रयोजन के लिए संस्थाओं या अन्य निकायों चाहे वे निजी हो या सार्वजनिक से सहयुक्त करना ;

(vii) योग्य संस्थाओं, जो आयोग की राय में गाय के कल्याण में लगी हैं, जो गैर–अक्षय ऊर्जा जैसा कि गाय के गोबर तथा मूत्र से बायो–गैस तथा वैज्ञानिक जांच या परीक्षणों के द्वारा अन्य लाभकर उपयोगों के प्रचार के लिए भी है, को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना ;

(viii) आर्थिक लाभ जो गाय से प्राप्त किए जा सकते हैं के बारे में लोगों को शिक्षित तथा जागरूक करने के लिए अभियान चलाना तथा ऐसी जागरूकता जो गाय के लिए दया की शिक्षा का प्रचार भी करे, को उन्नत करने के लिए प्रतियोगिताओं का प्रबन्धन करना तथा ऐसी सूचना विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कदम उठाना ;

(ix) अकाल, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्र में गाय के उपयोग के लिए चारा प्राप्त करना तथा उपलब्ध करवाना तथा प्रभावित क्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनों के लिए शिविर स्थापित करने तथा ऐसे प्रभावित क्षेत्र से गाय के प्रवास या निर्यात के निवारण के लिए कदम उठाना तथा ऐसे क्षेत्र से वध के लिए निर्यात में आसक्त या प्रयासरत व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए सुझाव देना ;

(x) गाय के प्रजनन तथा पालन–पोषण, जैव खाद, बायो–गैस इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों में लगी राज्य / केन्द्रीय सरकार के किसी पशुचिकित्सा, पशु विज्ञान या कृषि विश्वविद्यालय या विभागों या संगठनों के सहयोग से कार्य करना जो औषधीय प्रयोजनों के लिए गाय के जैव जीवी उत्पादों पर अनुसंधान आयोजित करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा आयोजित चिकित्सा–शास्त्र की भारतीय प्रणाली की ऐसी अनुसंधान परियोजनाओं के साथ सहयोग करना भी है ;

(xi) चारा प्राप्त करने के लिए तथा उन स्थानों, जहां चारा तथा पानी की प्रचूरता आसानी से उपलब्ध है, पर विद्यमान संस्थाओं को स्थानान्तरित करने में संस्थाओं की सहायता करना ;

(xii) जैव खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों को उन्नत करना तथा रासायनिक खादों के उपयोग को कम करने के लिए किसानों द्वारा जैव खाद में गाय के गोबर या मूत्र के उपयोग के लिए प्रेरक स्कीमों सहित उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना ;

(xiii) चारा विकास स्कीमों का उत्तरदायित्व लेना तथा मुफ्त घास–फूस रीपर उपलब्ध करवाना ;

(xiv) तत्समय लागू किसी विधि के अधीन सम्यक् प्राधिकार के बाद सम्बद्ध स्थानीय निकायों, अन्य सक्षम प्राधिकरणों या न्यायालयों से परित्यक्त, आवारा, जब्त या अभिग्रहण गाय को अभिरक्षा में लेना तथा उन्हें सुरक्षित रखना ;

(xv) गाय के बायोगैस उत्पाद पर आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर/शिल्पी उद्योगों की स्थापना के लिए स्कीमें तैयार करना तथा प्रस्तुत करना जो विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक रूप से मृत गाय की चर्म, खोलों, हड्डियों पर भी आधारित हैं ;

(xvi) गाय की देशी नस्लों इसके दूध तथा सहबद्ध डेयरी उत्पादों तथा बैल ऊर्जा के महत्त्व के बारे में जागरूकता सर्जित करना ;

(xvii) विभिन्न प्रतियोगिताओं/घटनाओं/मेले आयोजित करते हुए तथा वित्तीय रूप से विजेताओं को उपयुक्त ईनाम देते हुए दूध की नस्ल विकास में लगी संस्थाओं में उपयोगी प्रतियोगिता उन्नत करना।

अध्यक्ष की शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य।

15. अध्यक्ष यथा विहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा।

उपाध्यक्ष की शक्तियां, कर्त्तव्य तथा कृत्य।

16. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यथा विहित ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा।

कार्यालय।

17. आयोग, यथाशीघ्र, इसकी स्थापना तथा निगमन के बाद, ऐसे स्थान पर अपना मुख्यालय रखेगा जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

18. आयोग सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों के अध्यधीन, ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जो वह इसके कृत्यों को दक्षतापूर्ण करने के लिए आवश्यक समझे।

वेतन तथा सेवा शर्तें।

19. आयोग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

निधि।

20. आयोग की निधि सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों, इसको किए गए दानों, उपहारों तथा वसीयतों से मिलकर बनेगी।

निधि तथा सम्पत्ति का लागूकरण।

21. (1) आयोग की सभी सम्पत्तियां, निधियां तथा अन्य परिसम्पत्तियां यथाविहित प्रयोजनों के लिए इस द्वारा रखी तथा लागू की जाएंगी।

(2) वित्तीय विवक्षा वाला कोई भी प्रस्ताव आयोग द्वारा तब तक अनुमोदित, स्वीकृत या कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे प्रस्ताव की सम्यक् रूप से गठित वित्तीय समिति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, जांच नहीं की जाती है।

बजट।

22. (1) आयोग ऐसी तिथि, जो विहित की जाये, को प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय को दर्शित करने वाला आगामी वित्त वर्ष का बजट तैयार करेगा तथा सरकार को विहित प्ररूप में भेजेगा।

(2) सरकार उसे प्रस्तुत किये गये बजट को ऐसे उपांतरणों सहित, यदि कोई हों, जो वह समुचित समझे, स्वीकृत कर सकती है।

(3) जब बजट सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो आयोग ऐसे प्रयोजन जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है के लिए निधि में से समुचित राशियों के लिए सक्षम होगा।

अभिलेख मंगवाने की शक्ति।

23. आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को करने के लिए किसी संस्था का कोई अभिलेख या रिपोर्ट मंगवा सकता है।

लेखा तथा लेखा परीक्षा।

24. (1) आयोग समुचित लेखों तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा तथा लेखों की ऐसे प्ररूप में रिपोर्ट तैयार करेगा, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग के लेखों की महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर लेखा परीक्षा की जायेगी, जो उस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये तथा ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में कोई व्यय आयोग द्वारा भुगतान योग्य होगा।

वार्षिक रिपोर्ट।

25. आयोग पूर्व वित्त वर्ष के अपने क्रियाकलापों के पूर्ण लेखे देने वाली प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट यथाविहित ऐसी रीति में तथा ऐसी तिथि तक तैयार करेगी तथा सरकार को इसे भेजेगी।

रिपोर्ट पर कार्रवाई।

26. धारा 25 के अधीन की गई रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो वह समुचित समझे।

सरकार की रिपोर्ट, विवरणियां इत्यादि मंगवाने की शक्ति।

27. सरकार आयोग से ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों तथा लेखों के विवरण मंगवा सकती है, जो वह आवश्यक समझे।

सरकार के निदेश।

28. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग नीति के प्रश्न पर ऐसे निदेशों के अनुसार कार्य करेगा, जो सरकार द्वारा उसे दिये जायें।

(2) यदि सरकार तथा आयोग के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता कि कोई प्रश्न नीति का प्रश्न है या नहीं तो सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

29. आयोग के सभी सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनके द्वारा कार्य किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे।

30. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश द्वारा ऐसी कोई बात कर सकती है, जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे। कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

31. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

32. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने गाय प्रजातियों के संरक्षण, कल्याण एवं विकास के लिए "हरियाणा गौ-सेवा आयोग" को स्थापित करने और गठन करने का निर्णय लिया है। यह आयोग गाय पालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तर्ज पर आयोजित करेगा और कृषि कार्यों में जैविक खाद के उपयोग को बढ़ाने में सहायता करेगा।

हरियाणा गौ-सेवा आयोग, विधेयक, 2010 निम्नलिखित व्यवस्था प्रदान करेगा :--

1. राज्य में सभी प्रजाति की गायों के वध पर प्रतिबन्ध तथा/या उन पर अत्याचार रोकने से सम्बन्धित लागू कानूनों को अधिक प्रभावशाली तथा अर्थ पूर्ण रूप से लागू करवाने बारे सुनिश्चित करना तथा सरकार को इसके कार्यान्वित करने बारे कठोर कदम उठाने के सुझाव देना।
2. गायों के गोबर तथा मूत्र के वैज्ञानिक प्रयोग हेतु संस्थाओं के कार्य की निगरानी करना ताकि कृषि के क्षेत्र में (मिट्टी की उर्वकता सहित) इसके जैव-ऊर्जा, जैव-गैस, जैविक खाद, जैविक संक्रामण-रोग तथा घरेलू उपयोग को बढ़ाया जा सके।
3. स्वयंसेवक संगठनों द्वारा संचालित गौशाला एवं गौसदनों के कार्य संचालन में उनकी वित्तीय तथा अन्य रूप से सहायता करना और उनके कार्य की निगरानी करना, ताकि उनको वैज्ञानिक ढंग से विभिन्न नस्लों की गायों के विकास के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।
4. देशी गायों की नस्लों, उनके दूध से निर्मित पदार्थों और बैलों की शक्ति के महत्व बारे लोगों को जागरूक एवं शिक्षित करना।
5. कृषि/पशुचिकित्सा विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न संगठनों के सहयोग से जो राज्य में आविष्कार के क्षेत्र में कार्यरत हैं, के सहयोग से गाय पालन और नस्ल सुधार का कार्य करना और भारतीय चिकित्सा प्रणाली की अनुसंधान परियोजनाओं के अन्तर्गत गाय के बायो-जैनिक उत्पादों से दवाईयां तैयार करवाने बारे सहयोग करना।
6. अपंग, आवारा, अपाहिज और पीड़ित गायों को हथियाना जो सम्बन्धित स्थानीय विकाय, सक्षम प्राधिकरण या न्यायालयों के कानूनतः कब्जे में हैं, उनको अधिकार में लेकर उचित देख-भाल सुनिश्चित करना।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में, गायों के उत्पाद तथा प्राकृतिक तौर पर मृत गायों की खाल, हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु योजनाएं बनाना तथा सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करना।

परमवीर सिंह,
पशुपालन मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
3 सितम्बर, 2010

सुमित कुमार,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 32 कुछ नियम तथा परिनियम बनाने का प्रावधान करता है। इस सम्बन्ध में अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, यह शक्ति सरकार को नये या अतिरिक्त नियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित की गई है। सरकार को शक्ति का यह प्रत्यायोजन सामान्य रूप का है तथा इससे विधान की शक्ति के प्रत्यायोजन के सामान्य क्षेत्र का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता है। अत: यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 126 के उपबंधों के अन्तर्गत वांछित है और अनुबन्धित किया गया है।

47643—H.V.S.—H.G.P., Chd.